

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

द्वारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष— सुमन लकड़ाबगैरह।

बनाम

वाद सं0 51 / 2021

द्वितीय पक्ष— इस्दोर लकड़ा बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
04/2/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथमिकी सं० 15 / 2021 दिनांक 26 / 06 / 2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1)सुमन लकड़ा उम्र 36 वर्ष पिता स्व० लोरेन्तुस लकड़ा सा० ममरला थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) इस्दोर लकड़ा उम्र 55 वर्ष उर्फ भोला पिता स्व० जुएल लकड़ा (2) तरसियुस लकड़ा उर्फ डेबा उम्र 48 वर्ष पिता देवनिस लकड़ा सा० ममरला थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा कोनबीर के खाता सं० 102 प्लॉट सं० 1158, 1486 भूमि में अपना अपना दखल को लेकर विवाद एवं तनाव होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के पक्षों उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।   अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	